बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0–4/अ0प्र0–01–12/2024 (पार्ट–II) 478 /पटना, दिनांक– 27.8.25

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस0एल0पी0 (सी0) संख्या–7257/2023 शशि भूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक–04.10.2024 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के पत्र सं0–672 दिनांक–24.02.2025 द्वारा विज्ञापन सं0–01/2019 के अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित 03 (तीन) अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्त्तों के अधीन कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर–07 एवं समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य अन्य भत्तों के साथ परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है:–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम/गृह जिला	पिता/पति का नाम स्थायी पता	पंजीयन सं0	आयोग द्वारा अनुशंसित समेकित सीरियल नम्बर	जन्म तिथि	आवेदन की कोटि/अनुशंसित कोटि	नियुक्त अभ्यर्थी का छायाचित्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री शंकर कुमार/ गया	श्री राजेन्द्र राम, ग्राम–चाकन्द बाजार, पो0+थाना–चाकन्द, जिला–गया, बिहार, पिन–804404	BR00150010052969	212	05.03.1990	UR 60-UR	
2	श्री सुभाष कुमार/ नालन्दा	स्व0 हिरा लाल, ग्राम/मोहल्ला–कागजी मोहल्ला, पो0+थाना–बिहारशरीफ, जिला–नालन्दा, बिहार, पिन–803101	BR00150010082560	1566	25.12.1987	SC 40-SC	

3	श्री फिरोज अंसारी / रोहतास	श्री अख्तर अंसारी, ग्राम–खड़ेज, पो0–धनेज, थाना–करगहर, जिला–रोहतास, बिहार, पिन–821107	BR001500100079002	5230	15.02.1995	EBC-FF 60-FF	

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ–पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन (Verification) प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों को सही मानकर इस शर्त्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

4. यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जा रही है, यदि भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी (नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक)) के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि/पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

5. वैसे अभ्यर्थी जो पहले से सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थानों/निकायों में कार्यरत है, उन्हें योगदान के समय नियोक्ता संस्थान के सक्षम प्राधिकार से निर्गत विरमन–पत्र/स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में निम्न शर्तें अधिरोपित होंगे:–

(i) बिहार सरकार के अन्तर्गत संविदा नियोजित कनीय अभियंता, नियमित सरकारी सेवक नहीं हैं। अतः आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु उनकी अनुशंसा के क्रम में संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। नियमित नियुक्ति के उपरांत ऐसे संविदा नियोजित कनीय अभियंता संविदा नियोजन से त्याग पत्र समर्पित करने के अगले दिन ही नियमित नियुक्ति के फलस्वरूप योगदान करेंगे।

(ii) बिहार सरकार के अन्तर्गत संविदा नियोजित वैसे कनीय अभियंताओं जिनका आयोग द्वारा चयन के क्रम में संविदा अवधि में किये गये कार्यानुभव के लिए अंक की अधिमानता तथा अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ प्रदत्त की गयी होगी, को उनके पदस्थापित प्रमंडल में योगदान के समय उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र की जाँच कर संतुष्ट होना सुनिश्चित करेंगे। कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उससे संबंधित कोई त्रुटि/पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

(iii) जिन संविदा नियोजित कर्मियों के विरूद्ध सम्प्रति अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, उनके मामले में प्रशासी विभाग द्वारा प्रत्येक मामले को गुणा–गुण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

(iv) संविदा अवधि में की गयी सेवा का किसी प्रकार का कोई लाभ नियमित नियुक्ति के उपरान्त अनुमान्य नहीं होगा।

7. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 दिनांक–03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

8. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9. सभी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापन के उपरान्त नव पदस्थापन कार्यालयों में योगदान की तिथि से देय होगा।

10. नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के वेतनादि का भुगतान संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उनके शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापनोपरान्त किया जायेगा।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली/माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विज्ञापन सं0–01/2019 (कनीय अभियंता) के विरूद्ध दायर विभिन्न वादों में पारित होने वाले अंतिम न्याय निर्णय के फलाफल से यह नियुक्ति प्रभावित होगी।

12. भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा पार्थक्यता पाये जाने पर इसे तदनुसार संशोधित/रद्द कर दिया जाएगा।

26/8/25
(ई0 निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 4/अ0प्र0–01–12/2024 (पार्ट–II) 9236 /पटना, दिनांक– 27.8.25

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसकी 100 (एक सौ) मुद्रित अतिरिक्त प्रतियाँ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

26/8/25
अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 4/अ0प्र0–01–12/2024 (पार्ट–II) 9238 /पटना, दिनांक– 27.8.25

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

26/8/25
अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 4/अ0प्र0–01–12/2024 (पार्ट–II) 9236 /पटना, दिनांक– 27.8.25

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/25

अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 4/अ0प्र0–01–12/2024 (पार्ट–II) 9236 /पटना, दिनांक– 27.8.25

प्रतिलिपिः– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष /सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/ महाधिवक्ता, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/25

अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 4/अ0प्र0–01–12/2024 (पार्ट–II) 9236 /पटना, दिनांक– 27.8.25

प्रतिलिपिः– सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक–672 दिनांक–24.02.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/8/25

अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 4/अ0प्र0–01–01/2019 (पार्ट–II) 9236 /पटना, दिनांक 27.8.25

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग /प्रभारी पदाधिकारी, विभागीय (बजट शाखा), ग्रामीण कार्य विभाग /सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/8/25

अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 4/अ0प्र0–01–12/2024 (पार्ट–II) 9236 /पटना, दिनांक– 27.8.25

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख के आशुलिपिक/सभी मुख्यालय स्थित राजपत्रित पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) एवं अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/8/25

अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :— 4/अ0प्र0—01—12/2024 (पार्ट—II) 9236 /पटना, दिनांक— 27.8.25

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/8/25

अभियंता प्रमुख—सह—
अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव